2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी (मांगी लाल) आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः- 251 क(1) आर.टी.ए.
प्रकरण संख्याः 215/2025

ओमप्रकाश पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी पक्का भादवां तहसील व जिला हनुमानगढ़
-:प्रार्थी

बनाम्

1 कृष्ण पुत्र हरीराम जाति जाट निवासी ढाणी चक 30 एलएलबब्ल्यू सुभानवाला तहसील व जिला हनुमानगढ़
2 तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़, तहसील व जिला हनुमानगढ़।
-:अप्रार्थीगण

उपस्थित :-

1. श्री भवानी सिंह - अधिवक्ता प्रार्थी
2. कैलाश कुमार धामू - अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1
3. राजपैरोकार - अप्रार्थी सं. 2

-::निर्णय::-

दिनांक 26.12.2025

अधिवक्ता प्रार्थी श्री भवानी सिंह द्वारा पेश यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट जिसके संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थी निम्न प्रकार प्रस्तुत है-

यह कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण का पंजीबद्ध पता प्रार्थना पत्र में अंकितानुसार है। यह कि प्रार्थी के नाम से कृषि भूमि चक 30 एल.एल.डब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 24/13 के पत्थर नंबर 43/228 (20) के किला नंबर 9 से 10 कुल 0.759 हैक्टेयर नहरी भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह है कि प्रार्थी की इस भूमि में आने-जाने हेतु कोई स्वीकृत शुदा रास्ता चिपता हुआ नहीं है तथा इस कारण प्रार्थी को रास्ता की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को अपनी भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ता का वैकल्पिक मार्ग नहीं है, जिस कारण प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि की काश्त हेतु काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है।

यह कि अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से कृषि भूमि चक 30 एल.एल.डब्ल्यू तहसील हनुमानगढ़ जमाबंदी सम्वत् 2077 से 2080 के खाता संख्या 33/21 के पत्थर नबर 43/227 (11) के किला नंबर 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2, पत्थर नंबर 43/228 (20) के किला नंबर 1 से 4, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7 कुल 3.036 हैक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज है। जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना पत्र है।

यह कि चक 30 एल.एल.डब्ल्यू. के पत्थर नंबर 43/228 (20) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी सिरा पर उत्तर से दक्षिण गैरमुमकिन रास्ता मंजूर शुदा है जो मौका पर चला रहा है। प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि पत्थर नंबर 43/228 (20) के किला नंबर 8 से 10 के चिपते पूर्वी तरफ इसी मुरब्बा का किला नंबर 6 व 7 अप्रार्थी संख्या 1 के है तथा अप्रार्थी संख्या 1 की भूमि के पत्थर नंबर 43/228 (20)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ़

के किला नंबर 6 व 7 उत्तर से दक्षिण किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25 में पूर्वी सिरा पर चल रहे मंजूर शुदा रास्ता से जुड़ते है, इस कारण प्रार्थी अपनी प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 की कृषि भूमि पत्थर नंबर 43/228 (20) के किला नंबर 6 व 7 के दक्षिणी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 1-1- बिस्वा चौड़ा व 2 बीघा लंबा रास्ता मंजूर करवाना चाहता है, यह रास्ता प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हेतु सबसे सुलभ व नजदीक कम दूरी का रास्ता है। उक्त प्रस्तावित रास्ता के अलावा प्रार्थी की कृ
वि भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई रास्ते का विकल्प नहीं है।

यह कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आने जाने के लिए उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई सुगम रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी कृषि भूमि में आवागमन हेतु रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है। प्रार्थी रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डीएलसी दर की दुगुनी राशि अथवा उतनी भूमि देने के लिए तैयार है।

यह कि अर्सा 2 दिवस पूर्व प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि वे प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन हेतु अपनी कृषि भूमि के पत्थर नंबर 43/228 (20) के किला नंबर 6 व 7 के दक्षिणी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 1-1- बिस्वा चौड़ा व 2 बीघा लंबा रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व अभिलेख में गैरमुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज करवा देवें तो अनार्थी संख्या 1 ने ऐसा करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है।

यह कि प्रार्थी धारा 251-ए के तहत माननीय न्यायालय द्वारा पारित इस रास्ता की एवज में कोई भी शर्त की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

यह कि प्रार्थना-पत्र प्रार्थीगण माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की प्रार्थना पत्र की चरण सख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में आवागमन के लिए अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज भूमि चक 30 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नंबर 43/228 (20) के किला नंबर 6 व 7 के दक्षिणी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 1-1- बिस्वा चौड़ा व 2 बीघा लंबा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे तथा इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

» प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश धामू उपस्थित व जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें लैंड के बदले लैंड दिये जाने पर रास्ता स्वीकृति में सहमति प्रदान की है।

हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार हनुमानगढ से मौका रिपोर्ट तलब नहीं की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की कार्यवाही एक संक्षिप्त विचारण है जिसकी मंशा यह है कि काश्तकारों को अपनी खातेदारी जोत तक पहुंचने के लिए निर्बाध रूप से रास्ता प्राप्त होना चाहिए। राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानान्तर्गत भू.अ.निरीक्षक या उससे वरिष्ट स्तर के राजस्व अधिकारी से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(ए) के संबध में रिपोर्ट प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु निम्नाकिंत बिन्दूओं का विवेचन किया गया-

1 **रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता।**
2 **वैकल्पिक रास्ते का अभाव।**
3 **नया मार्ग लघुतम रूट से हो।**

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ

पत्रावली में मौजूद जमाबंदी, नजरी नक्शा उक्त प्रस्तावित रास्ता के बदले अप्रार्थी सं. 1 जमीन के बदले जमीन लेने पर सहमत है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। चूंकि धारा 251ए एक संक्षिप्त विचारण है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया गया। मनन उपरांत यह निष्कर्ष है कि प्रार्थी द्वारा याचित रास्ता से सुगमता से प्रार्थी अपनी जोत तक पहूंच सकता है। प्रार्थी को अपनी जोत में पहूंच का रास्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत प्रदान किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई भी स्वीकृतशुदा रास्ता उपलब्ध है। मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट व नजरी नक्शा के प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता से ही अपनी खातेदारी जोत तक प्रार्थी पहूंच सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251(1) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70) के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में तहसीलदार मौका रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा अनुतोष में वांछित रास्ता में लघुतम दूरी का होना, वैकल्पिक मार्ग का नही होना और मार्ग की अत्यांतिक आवश्यकता का होना पाया गया है। प्रार्थी उक्त तीनों बिंदुओ को अपने पक्ष में साबित करने में सफल रहा है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण धारा 251 ए में वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में स्वीकार किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार कर उक्त विवेचन उपरांत आदेश दिए जाते है कि:-

-:क्रिन्याविति आदेशः-

अतः उपर्युक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर चक 30 एल.एल.डब्ल्यू. तहसील हनुमानगढ के पत्थर नंबर 43/228 (20) के किला नंबर 6 व 7 के दक्षिणी सिरा पर पूर्व से पश्चिम 1-1- बिस्वा चौड़ा व 2 बीघा लंबा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। स्वीकृत किये गये रास्ते की भूमि के एवज में प्रार्थी की खातेदारी भूमि प.न. 43/228 मु.न. 20 कि.न. 8 के पूर्वी दिशा में रास्ता भूमि को छोड़कर अप्रार्थी की भूमि के चिपते 0.025 हैक्टेयर प्रार्थी की भूमि कम कर अप्रार्थी को 0.025 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेश दिए जाते है कि उक्तानुसार पालना करे व किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं हो तो, आरटीए 251-ए (2) के तहत उक्त मंजूरशुदा रास्ते का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता (सिवाय चक) के रूप में अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी